

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3 / कूबजट आवंटन-24 / 2013- 265 / कू0, पटना, दिनांक 14/3/2014

Mail/Fax प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।
सेवा में,

कृषि निदेशक
बिहार पटना

विषय:-

वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में सुखाड़ के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के विधुत उपभोक्ताओं को सिंचाई हेतु अतिरिक्त विधुत आपूर्ति के फलस्वरूप बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग)कम्पनी लिमिटेड को भुगतान करने हेतु तत्काल 38.17 करोड़ रुपये (अड़तीस करोड़ सत्तरह लाख रुपये)मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1158 दिनांक-13.03.2014 द्वारा वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में सुखाड़ के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के विधुत उपभोक्ताओं को सिंचाई हेतु अतिरिक्त विधुत आपूर्ति के फलस्वरूप बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग)कम्पनी लिमिटेड को भुगतान करने हेतु तत्काल 38.17 करोड़ रुपये (अड़तीस करोड़ सत्तरह लाख रुपये)मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु तत्काल 38.17 करोड़ रुपये (अड़तीस करोड़ सत्तरह लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त 38.17 करोड़ रुपये (अड़तीस करोड़ सत्तरह लाख रुपये) मात्र का व्यय बजटशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग सं0-1-उपशीर्ष-0103-बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना-विप्रत्र कोड-P2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-56 83, विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष, 2013-14 में मूल तथा द्वितीय अनुपूरक आगणन में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-7857 दिनांक-31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी0 भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन-

(15) 14/3/14

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कू0, पटना, दिनांक 14/3/2014

झापांक 265 आवंटन

प्रतिलिपि : 1. महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रामजी

(15) 14/3/14
सरकार के संयुक्त सचिव।

• ज्ञापांक 265 अप्रैल
, 2014

/ कृ०, पटना, दिनांक 14/3

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी० पी० एम०, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) कृषि विभाग बिहार, पटना/सभी संबंधित प्रमण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, कृषि विभाग-सह-उप कृषि निदेशक, (सांख्यिकी)/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

राजा

१३/४३/५

सरकार के संयुक्त सचिव।